I/134264/2023

ई0 पत्रावली संख्या–56808/2023

प्रेषक,

हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण अनुभाग–02 **देहरादून : दिनांक** 03 ~~**जून**~~ जुलाई**, 2023**

विषयः मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–64/2019 एवं 436/2020 के अन्तर्गत पुनरीक्षित योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–160/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/सी0एम0 (योजना), दिनांक 11.01.2023 में किये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला में काली नदी के दायें पार्श्व पर स्थित घटखोला पर तटबन्ध सुदृढ़ीकरण की योजना (मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–64/2019) की पुनरीक्षित औचित्यपूर्ण लागत रू0 850.86 लाख (मूल लागत रू0 730.68 लाख + अतिरिक्त लागत रू0 120.18 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2023–24 में अतिरिक्त लागत रू0 120.18 लाख के सापेक्ष पूर्ण धनराशि रू0 120.18 लाख (रूपये एक करोड बीस लाख अटठारह हजार मात्र) की धनराशि, योजना की मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या–**1707/II(2)–2021–04(39)/2020, दिनांक 01.12.2021** में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों तथा निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(i) उक्त योजना को इस पुनरीक्षण के पश्चात् किसी भी दशा में पुनः पुनरीक्षित न किया जाय।

(ii) सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कही आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय। शेष धनराशि की व्यवस्था राज्य सैक्टर से इतर अन्य स्त्रोतों से किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(iv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(v) धनराशि व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से स्वीकृत/वित्त पोषित न हो। अन्य योजना/विभाग से स्वीकृत/वित्त पोषित होने की दशा में इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग न किया जाय।

(vi) सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायें।

(vii) विस्तृत आगणन में प्रतिधानित डिजाइन व मात्राओं तथा कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(viii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(ix) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2024 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जाये। उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में उक्त योजनाओं हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(x) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(xi) शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(xii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दि0–31.03.2024 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(xiii) योजना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियोजन विभाग को कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में अवश्य संसूचित किया जाय ताकि निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकें।

(xiv) योजना कार्यों पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(xv) निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, स्टोन, पी0बी0सी0 पाईप, cement, Steel एवं अन्य का I.S.Code के मानकों के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण कराते हुए मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाय।

(xvi) आगणन में एस0ओ0आर0/डी0एस0आर0 की दरें ली गई हैं एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिगत से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

(xvii) मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन विभाग को अवगत कराया जाय।

(xviii) स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य के क्रियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जाये।

(xix) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर निर्गत किये गये आदेशों एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(xx) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं एवं उक्त शासनादेश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाये।

I/134264/2023

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–01–बाढ़ नियंत्रण–103–सिविल निर्माण कार्य–07–मानसून अवधि में बाढ़ सुरक्षा कार्यों का सम्पादन/क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण–53–वृहत निर्माण कार्य के लिए भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक–132707/2023, दिनांक 26 जून, 2023 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 03-07-2023 14:49:57

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

ई0 पत्रावली संख्या–56808/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Jai Lal Sharma
Date: 03-07-2023 15:49:27

(जे0एल0शर्मा)
संयुक्त सचिव।

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, Irrigation(S025)

HOD-Chief Engineer Irrigation(4801)

आवंटन पत्र संख्या -134264/56808/2023 आवंटन आई डी-S23070200006

अनुदान संख्या -020 आवंटन पत्र दिनांक-04-JUL-2023

लेखा शीर्षक	4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	01-बाढ़ नियंत्रण
	103-सिविल निर्माण कार्य	07-मानसून अवधि में बाढ़ सुरक्षा कार्यों का संपादन/ क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण
	00---	Voted

4	7	1	1	0	1	1	0	3	0	7	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	67839000	12018000	0	79857000
योग	67839000	12018000	0	79857000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.1,20,18,000 (Rupees One Crore Twenty Lacs Eighteen Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER